

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2020—कार्तिक 15, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2020

क्रमांक 88/सी.एस.ई.आर.सी./2020.—विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (द) एवं (ध) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यथासंशोधित विद्युत नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011 दिनांक 04 मार्च 2012 को अधिसूचित किया गया था।

आयोग परीक्षण उपरांत यह अनुभव करता है कि उक्त विनियम में विद्युत लोकपाल की नियुक्ति हेतु पदावधि, विद्युत अधिनियम, 2003 में राज्य के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु प्रावधानित पदावधि में भिन्नता है। अतः आयोग का यह अभिमत है कि लोकपाल की पदावधि हेतु वर्तमान विनियम के संगत प्रावधानों को विद्युत अधिनियम, 2003 में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु प्रावधानित पदावधि के अनुरूप किया जाए। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (6) में विद्युत लोकपाल की नियुक्ति हेतु आयोग को प्राप्त शक्तियों के अधीन, आयोग का यह दृष्टिकोण है कि मूल विनियम में विद्युत लोकपाल की नियुक्ति हेतु कंडिका 46 एवं 48 को विलोपित करने हेतु विनियामक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आयोग एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020

अध्याय-1

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

1. इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 कहा जावेगा।
2. यह विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर, उनसे संबंधित लायसेंसी क्षेत्र में लागू होंगे।
3. यह विनियम इनके मूल पाठ के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

परिभाषा

4. इन विनियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
'मूल विनियमों' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011:

अध्याय-3

संशोधन

5. मूल विनियमों के खंड 46 एवं खंड 48 को विलोपित कर निम्नानुसार संशोधित खंड प्रतिस्थापित किया जाए:
“46. लोकपाल ऐसा व्यक्ति होगा जो अनुभवी, योग्य, सत्यनिष्ठ एवं ख्यातिलब्ध हो। लोकपाल का चुनाव उन व्यक्तियों में से किया जायेगा, जिन्हें विधिक कार्य, अभियांत्रिकी, उद्योग, प्रशासन, प्रबंधन, प्रतिरक्षा सेवाएं एवं उपभोक्ता मामलों जैसे किसी क्षेत्र में 20 वर्ष या उससे अधिक अनुभव एवं अभिदर्शन हो।
48. लोकपाल उस तारीख से जिस पर वह पदभार ग्रहण करता है, से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु कोई लोकपाल पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।”

No. 88/CSERC/2020.—In exercise of the powers vested in the Commission under the provisions of sub-section (5), (6) & (7) of Section 42 read with clause (r) and (s) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (the Act), and in pursuance of the provisions of Electricity Rules, 2005 as amended, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission had notified the regulations namely Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011 on 04th March 2011.

On Examination, the Commission feels that there is a difference between the provisions related to tenure of Ombudsman in the regulations and tenure of appointment of Chairman and service of Member of State Commission in the Act. Hence, the Commission is of the view that the relevant regulations in respect of the tenure of the Ombudsman be amended to make it in conformity with the Provision of Chairman and Member of the Commission in the Act. Hence, in exercise of the powers vested under sub-section 6 of Section 42 of the Electricity Act, 2003 Commission feels it is appropriate to relax the regulatory process for repealing clause 46 and clause 48 of principal regulation. Hence, Commission hereby amends Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations-2011, namely :

**Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers)
(second amendment), Regulations, 2020.**

**CHAPTER-1
Short Title and Commencement**

- (1) These regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) (second amendment), Regulations, 2020.
- (2) These regulations shall be applicable to all distribution licensees in Chhattisgarh in their respective licensed areas.
- (3) These shall come into force from the date of their publication in Chhattisgarh Rajpatra.

Definition

- (4) In These regulations, unless context otherwise requires:

“Principal Regulations” means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011.

**CHAPTER-3
Amendment**

- (5) Delete clause 46 and clause 48 of principal regulations and insert following:
 - “46. The Ombudsman shall be a person of experience, ability, integrity and repute. The Ombudsman shall be selected from amongst persons who have experience and exposure in any of the fields such as legal affairs, engineering, industry, administration, Management, defence services and consumer affairs, of not less than 20 years.
 48. The Ombudsman shall hold office for a term of five years from the date he enters upon his office :

Provided that no Ombudsman shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.”

आयोग के आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, सचिव.